कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।
पत्रांक 2282/14–10 ,अलीगढः दिनांकः जनवरीः 06 ,2016

सेवामें,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **जनपद अलीगढ़ में गौमत–बाजना (एम0डी0आर0–139) किमी0 37.260 की दांयी पटरी पर ग्राम–शिवाला के खसरा संख्या–927 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 है0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/36/2015/एफ0सी0/937 दिनांक 21.10.2015, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1021/11सी–अलीगढ़ दिनांक 05.11.2015 एवं आपका पत्रांक 1791/14–10 दिनांक 11.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार किया जाता है–

1. प्रस्ताव के भाग–II में बिन्दु संख्या–5 एवं 6 कार्ययोजना से संबंधित ब्यौरा एवं soil erosion का ब्यौरा स्पष्ट रूप से भरकर प्रेषित किया जा रहा है।
2. एन0पी0वी0 की गणना इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार करते हुए गणना प्रेषित की जा रही है।
3. भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के मुख्य बिन्दुओं को GPS Coordinates के साथ संलग्न किया जा रहा है एवं मानचित्र की डिजीटल .shp file/.kml file सी0डी0 के रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का भू–संदर्भित डिजीटल मानचित्र .shp file/.kml file में सी0डी0 के रूप में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
5. वनभूमि के क्षेत्रफल की गणना पर पुनःविचार कर लिया गया है। इस हेतु Architect से भी क्षेत्रफल का पुनः गणना करा ली गयी है। Architect से इस विषय में प्राप्त प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

अतः प्रस्ताव का अवलोकन कर संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को भेजने का कष्ट करें।
संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।
प्रतिलिपिः डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लिमिटेड, ए–5, सैक्टर–3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0पी0 गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।